

**न्यायालय: श्रीमती वंदना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड, जिला-बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 157 / 2009
संस्थान दिनांक 05.05.2009

जिला सहकारी केन्द्रीय, बैंक
मर्यादित, खरगोन, शाखा कुआं
के शाखा प्रबंधक मोहनलाल पिता बुदाजी,
पाटीदार, आयु 55 वर्ष, व्यवसाय-नौकरी
निवासी-बड़वानी, हाल मुकाम कुआं,
तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियोगी

विरुद्ध

अनिल पिता किशोरीलाल कर्मा,
निवासी-ग्राम लखनगौव, तहसील ठीकरी,
जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

/// निर्णय ///

(आज दिनांक 29.04.2015 को घोषित)

1. परिवादी बैंक द्वारा पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 में दिनांक 12.02.2009 को प्रस्तुत परिवाद पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 30.11.2008 को परिवादी बैंक को अभियुक्त द्वारा 4,99,515/- रुपये का जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित खरगोन, शाखा कुआं स्थित अभियुक्त के बैंक खाते का एक चेक 096322 का अभियुक्त विधिक दायित्व के उन्मोचन के लिए अभियुक्त द्वारा स्वयं के हस्ताक्षरित, हस्तलिपि एवं दिनांकित में जारी किये जाने पर भुगतान हेतु उक्त चेक संग्रह के लिए बैंक में जमा किया गया होकर उक्त चेक अपर्याप्त निधि होने से भुगतान नहीं हो सका। उक्त धनराशि की मांग का सूचना पत्र परिवादी बैंक द्वारा अभियुक्त को दिये जाने के उपरांत भी अभियुक्त द्वारा उक्त राशि भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियुक्त ने परिवारी बैंक से दिनांक 27.01.2004 को स्वयं के व्यवसाय के लिए वाहन ऋण टेम्पों ट्रेक्स हेतु रुपये 3,16,000/- रुपये प्राप्त किये थे जो ऋण खाते में उक्त राशि बैंक द्वारा नामे डाली गई थी जिसमें ऋण की अदायगी हेतु किश्तों में देने की सुविधा दी गई थी तथा अभियुक्त ने उक्त धनराशि में से रुपये 71,800/- परिवारी बैंक को प्रदर्शनी 1 लगायत प्रदर्शनी 6 की रसीदों के माध्यम से जमा करा दिये तथा रुपये 1,50,000/- परिवारी बैंक को अभियुक्त द्वारा दिनांक 27.06.2009 को जमा कराये गये हैं, जिसकी रसीद प्रदर्शनी 13 स्वयं परिवारी ने प्रमाणित की है।

3. परिवारी का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि परिवारी बैंक से अभियुक्त ने 3,16,000/- ऋण प्राप्त किया था तथा उक्त राशि अभियुक्त के लोन खाते में जमा कराई गई तथा अभियुक्त का बैंक खाता क्रमांक 2373 था। उक्त ऋण की वापसी के लिए किश्तों की सुविधा प्रदान की गई थी। अभियुक्त ने अपने हस्ताक्षर से चेक परिवारी बैंक को प्रदान किये थे और अन्य दस्तावेजों का निष्पादन भी किया था। अभियुक्त ने उक्त ऋण की राशि के रूपों के भुगतान करने हेतु स्थित अभियुक्त के खाते का चेक क्रमांक 096322 रुपये 4,99,515/- दिनांक 30.11.2008 परिवारी बैंक के पक्ष में जारी किया गया था जो अभियुक्त के खाते में भुगतान प्राप्त हेतु उसी दिनांक को पेश किया गया लेकिन उसके खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने से अनादरित हो गया, जिसकी सूचना अभियुक्त को दी जाने पर भी अभियुक्त ने चेक की धनराशि का भुगतान परिवारी बैंक को नहीं किया है। इसलिए परिवारी बैंक ने यह परिवार पेश किया है।

4. अभियोगपत्र/परिवार पत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपना अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.स. के परीक्षण में अभियुक्त ने निर्दोष होना व्यक्त किया हैं तथा बचाव साक्षी के रूप में स्वयं का तथा अपने पुत्र विशाल कर्मा का परीक्षण कराया है। जबकि परिवारी ने अपने प्रभारी अधिकारी मोहन पाटीदार तथा साक्षी हेमचंद सोलंकी का परीक्षण कराया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्या अभियुक्त द्वारा दायित्व के अधीन दिनांक 30.11.2008 को ग्राम कुआं में परिवादी को अपने खाता क्रमांक 2373 का चेक क्रमांक 096322 रुपये 4,99,515/- का अभियुक्त के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने से अनादरित हो गया जिसकी मांग का सूचना पत्र दिये जाने के उपरांत भी अभियुक्त ने उक्त धनराशि का भुगतान विहित समयावधि में नहीं किया ?

यदि हाँ तो उचित दण्डाज्ञा ?

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार

6. मोहनलाल (परि.सा.1) का कथन है कि वह जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित खरगोन शाखा कुआं में शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। परिवादी बैंक का मूल कार्यालय खरगोन में स्थित हैं तथा उसे उक्त परिवाद पेश करने के लिए परिवादी बैंक द्वारा स्थाई रूप से आदेशित किया गया है। अभियुक्त ने परिवादी से दिनांक 27.01.2004 को स्वयं के लिए वाहन लोन टेक्पों ट्रक हेतु रुपये 3,16,000/- का प्राप्त किया था जो धनराशि अभियुक्त के खाता क्रमांक 2373 पर जमा की गई थी। उक्त ऋण के भुगतान के लिए अभियुक्त को किश्तों की सुविधा दी गई थी। अभियुक्त ने अपने हस्ताक्षरित युक्त चेक उक्त धनराशि के भुगतान हेतु परिवादी को दिया था तथा अन्य दस्तोवजों का निष्पादन भी किया था। अभियुक्त के द्वारा दिनांक 30.11.2008 को एक चेक क्रमांक 096322 रुपये 4,99,515/- अपने बचत खाता क्रमांक 2373 पर परिवादी बैंक को दिया था। उसी दिनांक को परिवादी ने भुगतान के लिए बैंक में क्रेडिट किया था, लेकिन उक्त चेक परिवादी को दिनांक 05.12.2008 बिना भुगतान के वापस प्राप्त हुआ, तब परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 10.12.2008 को अभियुक्त को लेखी सूचना पत्र देकर चेक की धनराशि की मांग की थी, लेकिन अभियुक्त ने उक्त सूचना पत्र प्राप्त होने के बाद चेक की राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया। परिवादी ने अपने समर्थन में प्रदर्शपी 1 का स्थाई नियुक्ति आदेश, अभियुक्त के खाते की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदर्शपी 2 एवं 3, अभियुक्त द्वारा दिया गया चेक प्रदर्शपी 4, बैंक जमा पर्ची प्रदर्शपी 5, बैंक का वापसी ज्ञापन प्रदर्शपी 6, अभियुक्त को दिया गया सूचना पत्र की प्रतिलिपि प्रदर्शपी 7 और प्राप्ति अभिस्वीकृति प्रदर्शपी 8 प्रस्तुत की है।

7. अभियुक्त की ओर किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त को लोन किस दिनांक को दिया था, इसकी उसे जानकारी नहीं है, उस समय वह बैंक में पदस्थ नहीं था। अभियुक्त को लोन रुपये 7,00,000/- रुपये का दिया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त के द्वारा लोन की जो किश्ते जमा कराई गई थी वह रिकार्ड में है उसने प्रदर्शपी 2 एवं 3 का बकाया धनराशि का विवरण पेश किया है, लेकिन परिवादी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त द्वारा सम्पूर्ण लोन की धनराशि बैंक में जमा करा दी गई है या नहीं। साक्षी ने चेक की धनराशि 4,00,000/- रुपये के लगभग होना स्वीकार किया है। परिवादी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त का जिला सहकारी बैंक, शाखा कुआं में कोई खाता नहीं है अथवा उसने मिथ्या परिवाद पेश किया है।

8. अभियुक्त की ओर से द.प्र.स. की धारा 315 के अंतर्गत स्वयं का परीक्षण कराया है तथा अपने पुत्र विशाल कर्मा का बचाव साक्ष्य के रूप में कराया गया। अभियुक्त अनिल ब.सा. का कथन है कि उसने परिवादी बैंक से रुपये 3,16,000/- का वाहन लोन प्राप्त किया था। उसके द्वारा 4 वर्ष तक किश्त के माध्यम से धनराशि जमा कराई गई, जिसकी रसीद प्रदर्शडी 1 से प्रदर्शडी 6 है इसके अतिरिक्त उसे अन्य रसीदें नहीं मिली है। उसने लोन की सम्पूर्ण धनराशि जमा करा दी है और उसे कुछ भी देना शेष नहीं हैं, उसे बैंक के द्वारा दिनांक 13.11.08 को सूचना पत्र दिया था। उक्त सूचना पत्र मिलने के पहले ही उसने वाहन बैंक को वापस कर दिया था। उसके द्वारा प्रदर्शपी 4 का चेक नहीं दिया गया था। उसके उक्त चेक पर हस्ताक्षर भी नहीं हैं। उसका बैंक में कोई खाता नहीं है। परिवादी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उक्त लोन चुकाने के लिए किश्तों में धनराशि वापस करना थी। अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसने प्रदर्शडी 1 लगायत प्रदर्शडी 6 के माध्यम से विभिन्न दिनांकों को पैसे जमा कराये हैं और उसके अतिरिक्त अन्य कोई रसीदें पेश नहीं की है, लेकिन अभियुक्त ने प्रदर्शपी 1 के चेक पर अपने हस्ताक्षर होने से इंकार किया है। अभियुक्त ने प्रदर्शपी 7 का सूचना पत्र प्राप्त होना स्वीकार किया है, लेकिन अभियुक्त ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने प्रदर्शपी 1 का चेक परिवादी को लोन का भुगतान करने के लिए दिया था अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

9. विशाल कर्मा ब.सा.2 का कथन है कि वर्ष 2008 में बैंक मैनेजर एवं स्टॉफ के लोग ग्राम लखनगॉव आये थे तथा उसके पिता द्वारा बैंक से लिये गये रुपये 3,16,000/- के वाहन ऋण के द्वारा क़य किये गये वाहन एम.पी. 09 एस. 8903 वापस लिया गया था। बैंक वालों ने वाहन विक्रय कर दिया है। परिवादी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके पिता ने बैंक से परिवादी बैंक से 3,16,000/- का ऋण लिया था और परिवादी बैंक में उसके पिता का खाता था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उनके द्वारा परिवादी से कहा गया कि वह वाहन को बैचकर राशि जमा कराना चाहते हैं, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने एवं उसके पिताजी ने वाहन बैच दिया है और वह असत्य कथन कर रहा है।

10. हेमचंद सोलंकी परि.सा.2 का कथन है कि वह परिवारी बैंक में शाखा प्रबंधक के पद पर था तथा अभियुक्त के असल दस्तावेज साथ लेकर आया है। अभियुक्त को वाहन खरीदने के लिए बैंक द्वारा लोन दिया गया था, उस समय ब्याज की दर 13 प्रतिशत वार्षिक की थी। अभियुक्त द्वारा लोन की राशि नहीं चुकाने पर वाहन जप्त किया था, तब अभियुक्त ने दिनांक 29.06.09 को उक्त वाहन वापस प्राप्त करने के लिए एक आवेदन परिवारी बैंक को दिया था तथा दिनांक 27.06.2009 को आवेदन देने के पूर्व रुपये 1,50,000/- परिवारी के पास जमा कराया, जिसके प्रमाणित प्रदर्शपी 10 एवं आवेदन प्रदर्शपी 11 है। परिवारी द्वारा दिनांक 29.06.2009 को उक्त वाहन अभियुक्त को वापस किया गया, जिसकी प्राप्ति रसीद प्रदर्शपी 12 है। अभियुक्त के खाते में खरीददार महेन्द्र पिता लक्ष्मणसिंह के द्वारा 1,50,000/- बैंक में जमा कराया जिसकी रसीद प्रदर्शपी 13 है तथा दिनांक 27.01.2004 से लेकर दिनांक 29.06.2013 तक की है। अभियुक्त का खाता का विवरण प्रदर्शपी 9 है। साक्षी का यह भी कथन है कि दिनांक 29.06.2013 तक अभियुक्त पर रुपये 7,79,777/- बकाया है।

11. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त द्वारा वाहन विक्रय करने पर रुपये 1,50,000/- दिनांक 29.06.2009 को परिवारी बैंक के पास जमा किया गया था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने बैंक द्वारा अभियुक्त को वाहन वापस नहीं किये गया अथवा उन्होंने अभियुक्त से गलती से हस्ताक्षर करवा लिये थे।

12. परिवारी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि परिवारी बैंक से अभियुक्त द्वारा रुपये 3,16,000/- वाहन ऋण वर्ष 2004 को प्राप्त किया गया था, लेकिन अभियुक्त ने उक्त लोन परिवारी को वापस नहीं किया और अभियुक्त पर बकाया ब्याज सहित धनराशि रुपये 4,99,515/- हो गई थी, जिसकी अदायगी के लिए अभियुक्त ने परिवारी को प्रदर्शपी 4 का चेक दिया था, जो चेक अभियुक्त के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने से अनादरित हुआ और सूचना पत्र देने के बाद भी अभियुक्त ने चेक की राशि का भुगतान परिवारी को नहीं किया, जिससे अभियुक्त के विरुद्ध परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 का अपराध प्रमाणित होता है।

13. यह सही है कि अभियुक्त ने स्वयं परिवारी बैंक से रुपये 3,16,000/- का वाहन ऋण प्राप्त होना स्वीकार किया है, लेकिन परिवारी एवं उनके साक्षियों ने प्रतिपरीक्षण के दौरान प्रदर्शपी 1 से लेकर प्रदर्शपी 6 की रसीदों के माध्यम से विभिन्न दिनांकों को कुल मिलाकर 71,800/- रुपये प्राप्त होना स्वीकार किया है तथा परिवारी साक्षी हेमचंद सोलंकी की ओर से अभियुक्त द्वारा दिनांक 27.06.2009 अभियुक्त की ओर से प्रदर्शपी 13 की रसीद के माध्यम

से रुपये 1,50,000/- उक्त वाहन लोन के बदले जमा कराने के संबंध में साक्ष्य दी है तथा प्रदर्शनी 13 का दस्तावेज प्रमाणित कराया गया है। ऐसी स्थिति में परिवादी साक्षियों की स्वीकारोक्ति एवं प्रस्तुत दस्तोवजों से यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी बैंक से लिये गये रुपये 3,16,000/- वाहन ऋण के बदले परिवादी को रुपये 2,21,800/- रुपये परिवाद प्रस्तुत करने के बाद वापस अदा कर दिये गये थे।

14. परिवादी साक्षी हेमचंद सोलंकी ने अभियुक्त द्वारा दिये गये लोन की ब्याज दर 13 प्रतिशत वार्षिक होना बताया है, लेकिन सम्पूर्ण परिवाद पत्र एवं परिवादी के साक्षी मोहनलाल पाटीदार ने अपने परीक्षण में उक्त ब्याज की दर का कोई उल्लेख नहीं किया है और यह कथन अवश्य किया है कि अभियुक्त द्वारा उनके पक्ष में निष्पादित किये गये दस्तावेज उनके पास है, लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज पेश या प्रमाणित नहीं कराया गया है, जिससे यह प्रमाणित हो कि अभियुक्त द्वारा परिवादी बैंक से लिये गये लोन रुपये 3,16,000/- की ब्याज की दर 13 प्रतिशत वार्षिक हो। जब अभियुक्त ने परिवादी से लिये गये लोन के बदले में वर्ष 2004 में भी प्रदर्शनी 1 से लेकर प्रदर्शनी 6 के माध्यम से रुपये 71,800/- परिवादी बैंक में जमा कर दिये थे तो उसके उपरान्त भी परिवादी बैंक द्वारा अभियुक्त की ओर से जमा कराये गये उक्त धनराशि को लोन की धनराशि के बदले में समायोजित किया जाना परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये अभियुक्त के खाता विवरण से प्रमाणित नहीं होता है। यहाँ तक कि परिवादी ने अभियुक्त द्वारा बचाव में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के पूर्व अभियुक्त द्वारा रुपये 1,50,000/- जमा कराने का तथ्य भी न्यायालय से छिपाया है जबकि उक्त धनराशि भी लोन की धनराशि में से कम की जानी या समायोजित की जानी चाहिए तथा यदि अभियुक्त द्वारा लोन के बदले कोई धनराशि वापस चुकाई गई है, उसका समायोजन परिवादी द्वारा किया जाना चाहिए।

15. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता न तर्क किया कि उसके द्वारा परिवादी बैंक से लोन प्राप्त किये जाते समय कुछ दस्तावेजों का निष्पादन परिवादी के पक्ष में किया गया था और उन्हीं दस्तावेजों में प्रदर्शनी 4 का चेक भी शामिल था जो कि परिवादी बैंक द्वारा अभियुक्त को ग्यारंटी (प्रतिभूति) के तौर पर हस्ताक्षर करवाकर लिया गया था, जिस चेक का परिवादी बैंक द्वारा दुरुपयोग किया गया, जबकि उसके द्वारा उक्त लोन की राशि में से 71,800/- रुपये परिवाद प्रस्तुत करने के पूर्व जमा कराई जा चुकी है एवं परिवाद चलने के दौरान भी रुपये 1,50,000/- जमा कराये गये, जिसकी रसीद स्वयं परिवादी के साक्षी हेमचंद सोलंकी ने पेश की है।

16. यह सही है कि परिवाद चलने के दौरान अभियुक्त ने रुपये 1,50,000/- रुपये परिवादी को प्रदर्शपी 13 के माध्यम से अदा किये एवं वर्ष 2004 में भी प्रदर्शपी 1 लगायत डी 6 के माध्यम से रुपये 71,800/- उक्त लोन के बदले परिवादी के खाते में जमा कराये गये। परिवादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो कि उक्त धनराशि प्राप्त होने के बाद भी उनका अभियुक्त पर प्रदर्शपी 4 में वर्णित धनराशि रुपये 4,99,515/- बकाया था। यद्यपि प्रदर्शपी 4 के चेक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होना प्रथमदृष्टि में प्रतीत होते हैं, लेकिन प्रकरण की परिस्थितियों में परिवादी का आचरण सद्भाविक एवं स्वभाविक प्रतीत नहीं होता है और अभियुक्त का यह बचाव संभावित प्रतीत होता है कि उसके द्वारा परिवादी बैंक से प्राप्त किये गये रुपये 3,16,000/- ऋण के समय परिवादी द्वारा प्रदर्शपी 4 का चेक प्रतिभूति के तौर पर प्राप्त किया गया था जिसका कि दुरुपयोग परिवादी द्वारा किया गया। ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा प्रदर्शपी 4 का चेक परिवादी को दायित्व के अधीन प्रदान किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। **माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायदृष्टांत एम.एस. नारायण मेनन उर्फ मणी विरुद्ध स्टेट ऑफ केरला, 2006 (6) एस.सी. सी. 39 में** यह प्रतिपादित किया है कि चेक सुरक्षा या सिक्यूरिटी के लिए जारी किया जाता है तो उन्हें किसी ऋण या दायित्व के उन्मोचन में जारी होना नहीं माना जा सकता है।

17. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि परिवादी यह प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है कि अभियुक्त द्वारा दायित्व के अधीन परिवादी को रुपये 4,99,515/- का चेक क्रमांक 096322 दिनांक 30.11.2008 का प्रदान किया गया था जो अनादरित हुआ था। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 में दोषसिद्ध नहीं ठहराया नहीं जा सकता है और उसके विरुद्ध कोई निष्कर्ष भी अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

18. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त अनिल पिता किशोरीलाल कर्मा के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

न्यायालय:मसूद एहमद खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड़
(म0प्र0)

/// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत ///

मै मसूद एहमद खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड़,
जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 532/11 (शांतिलाल विरुद्ध अनिल)
में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ-

अभियुक्त का नाम :- अनिल पिता हरीजी पाटीदार (आवलिया)
आयु-35 वर्ष, धंधा-व्यापार,
निवासी हनुमान मोहल्ला, अंजड़ एवं
पी.एम.ऑटो इंटरनेशनल, बड़वानी रोड़,
अंजड़, जिला बड़वानी (म.प्र.)

गिरफ्तारी का दिनांक :-

पुलिस रिमाण्ड की दिनांक :-

न्यायिक अभिरक्षा की दिनांक :- 26.10.2007 से 05.11.2007 तक एवं
दिनांक 09.08.2010 से 2.08.2010
तक

कुल 13 दिवस ।

(मसूद एहमद खान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।
टंकित

मेरे उद्बोधन पर

(मसूद एहमद खान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
श्रेणी
अंजड़, जिला-बड़वानी

(मसूद एहमद खान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम
अंजड़, जिला-बड़वानी